

कार्यालय अधीक्षक उप जेल गुना (म0प्र0)

क्रमांक /
प्रति,

/स्था. / 2007

गुना,दिनांक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत गुना (म.प्र.)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित जानकारी भेजने बावत् ।

संदर्भ :- कलेक्टर महोदय जिला गुना के पृ.क्र.क्यू./अधी./नौ-1/2007/923 गुना दिनांक
29.08.2007 एवं आपका पत्र क्र./जि.पं./स.अ./2007/6009 गुना दिनांक 01.09.2007

—0—

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र के संलग्न भेजे गये प्रपत्र में उल्लेखित 17 बिन्दुओं की जानकारी एवं कार्यालयीन स्तर से नियुक्त लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय का नाम संबंधित समस्त जानकारी तैयार कर सी.डी. एवं एक हार्ड कॉपी में संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :- तीन प्रतियां एवं एक नग सी.डी.

अधीक्षक
उप जेल गुना (म0प्र0)

बिन्दु क्रमांक – 1 विभागीय संरचना :-

(अ) विभागाध्यक्ष कार्यालय –

1- जेल विभाग (मंत्रालय) के अन्तर्गत केवल एक विभागाध्यक्ष जेल मुख्यालय कार्यरत है ।

2- अभिनव योजना :-

जेल विभाग के अन्तर्गत संभाग एवं जिला स्तर पर कोई कार्यालय स्थापित नहीं है । सभी जेलों का सीधा संबंध जेल मुख्यालय से होता है किन्तु प्रदेश के दूरांचल में स्थापित जेलों की प्रशासन को सुगम बनाने के लिये समस्त जेलों को 10 अंचल (सर्किल) में बांटा गया है ये अंचल प्रदेश में स्थापित 8 केन्द्रीय जेलों कि तथा किशोर बन्दी संस्था के अधीक्षक है प्रत्येक अंचल के अधीन जिला जेल तथा उप जेल आती है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली के कारण जेल विभाग के स्वरूप एवं सैटअप में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

3- विभाग के जिला कार्यालय का स्वरूप तथा उप जेल गुना पर पदस्थ स्टाफ की जानकारी –

जेलर	–	01
मुख्य प्रहरी	–	02
प्रहरी	–	08
महिला प्रहरी	–	01
अति. अस्थाई प्रहरी	–	07
अ. अस्थाई महिला प्रहरी	–	01

कार्यालय के विभिन्न शाखाओं के कार्य । दायित्व जेलर का है उनकी सहायता हेतु विभिन्न शाखाओं में मु0प्रहरी एवं प्रहरी तैनात किये गये है ।

//2//

बिन्दु क्रं. 2- कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के नाम , पद नाम, कर्तव्य तथा परिलब्धियाँ संबंधी जानकारी-

क्रं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कर्तव्य	परिलब्धियाँ
1.	डा.रमेश शर्मा	जेलर	नियंत्रण	-

बिन्दु क्रं. 3- सूचना प्रदाय हेतु निर्धारित प्रारूप - प्रपत्र -ए
पाददर्शता बनाए रखने हेतु सूचना प्रदाय किये जाने ब्योरा

क्रं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक	चाही गई सूचना का संक्षिप्त विवरण	जमा किये शुल्क की पूर्ण राशि (रूपये में)	जेलर अधीक्षक जेलर द्वारा लिया निर्णय	आवेदक को निर्णय से अवगत कराने का दिनांक	आवेदन निरस्त होने की दशा में यदि अपील प्रस्तुत की गई हो	अपील पारित निर्णय एवं दिनांक	रिमांक	सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रपत्र - बी

क्रं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक	चाही गई सूचना का संक्षिप्त विवरण	जमा किये शुल्क की पूर्ण राशि (रूपये में)	अवलोकन किये गये अभिलेख	अवलोकन करने का दिनांक व समस्या	बसूल किया गया शुल्क (रूपये में)	आवेदक का शेष बापस की गई राशि	रिमांक	सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रपत्र - सी

क्रं.	आवेदक का नाम व पता	अपील प्राप्ती का दिनांक	अपील निर्णय दिनांक	आवेदक जेल अधीक्षक को संबंधित जेल को सूचना दिये जाने का दिनांक	रिमांक	सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

बिन्दु क्रं. 4 – कार्यालय द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने, गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी मापदण्ड तय किये जाने संबंधी जानकारी –

सिटीजन चार्टर का क्रियान्वयन –

परिभाषा :- सिटीजन चार्टर से तात्पर्य यह है कि किसी विभाग विशेष में किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार की सेवा कितनी समय सीमा में संक्षम अधिकारी द्वारा दी जावेगी इसे स्पष्ट करना है कहने का तात्पर्य यह है कि जन सामान्य को निर्धारित विषय बस्तु पर बांछित जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ऐसे बिन्दुओं का खुलासा स्पष्ट रूप से रहना चाहिये ।

विचाराधीन कैदियों को जेल अधीक्षक द्वारा :-

1. सिविल तथा विचाराधीन कैदियों से भेंट हेतु रिश्तेदारों तथा विधिक सलाहकारों को भेंट करने तथा पत्र व्यवहार से अच्छे आचरण की शर्त पर युक्तियुक्त सुविधा (692)
2. सप्ताह में एक बार

भेंट की प्रक्रिया समय तथा स्थान :-

- | | |
|--------------------|---|
| 1- भेंट हेतु आवेदन | 1. कैदियों से भेंट आवेदन लिखित या मौखिक जेल अधीक्षक के विवेकानुसार (676) |
| | 2. विचाराधीन कैदियों के लिये उचित विवरण के साथ विधिक सलाहकारों की लिखित आवेदन के पश्चात (695) |
| 2- समय | - भेंट के लिये अनुपात समय साधारणतः 20 मिनट होगा |
| 3- प्रक्रिया | - दण्डित कैदियों की जेल अधिकारी की उपस्थिति में भेंट विचाराधीन कैदियों के मामले में अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक नहीं (682,696) |
| 4- तलाशी | - सभी कैदियों (दण्डित व विचाराधीन) मुलाकात के पूर्व तथा पश्चात् साबधानी पूर्वक तलाशी ली जावेगी । |

डिटैन्डू को मुलाकात एवं पत्र सुविधा :-

- | | |
|------------------------------|---|
| 1- साक्षात्कार | - आवेदन उस जिला मजिस्ट्रेट को जिसके द्वारा निरोध का मूल आदेश जारी किया गया है। |
| 2- मुलाकात का स्थान तथा अवधि | - अधीक्षक द्वारा रिश्तेदार से अधिकतम एक घंटे तक तथा अन्य किसी व्यक्ति को अधिकतम आधे घंटे की अनुमति दी जावे। |
| 3- तलाशी | - साक्षात्कार के पूर्व एवं पश्चात् तलाशी ली जावेगी। |
| 4- प्रक्रिया | - ऐसे अधिकारी की उपस्थिति और ऐसी स्थिति में जिसमें वह सुन सके साक्षात्कार दिया जावेगा। |

जिला मजिस्ट्रेट की विशेष परिस्थितियों में साक्षात्कार के अधिकार

- | | |
|--------|--|
| 1- समय | 15 दिन में एक से अधिक नहीं और साक्षात्कार में उसे अधिक आगन्तुक नहीं होंगे। |
|--------|--|

उच्च अधिकारियों को शिकायत अग्रेषित करने के लिये प्रक्रिया :-

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1- जेल अनुशासन के मामले में | 1. जेल के अनुशासन को प्रभावित करने वाले मामलों में जिला दण्डाधिकारी/जेल महा निरीक्षक के नियम के अधीन
2. जिला एवं उप जेलों के जेल अधीक्षक जिला दण्डाधिकारी के आदेशों के अधीन
(जेल मेन्युअल -80) |
| 2- पत्र व्यवहार | 1. रोजमर्रा का पत्र व्यवहार अधीक्षक और महानिरीक्षक के बीच सीधे होगा।
2. असाधारण और महत्वपूर्ण विषयों पर जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से होगा।
(जेल मेन्युअल - 81)
3. कुप्रबन्ध या महत्वपूर्ण स्वरूप के अन्य मामलों में पत्र व्यवहार संभागायुक्त के माध्यम से होगा। |

मुलाकात एवं पत्र व्यवहार की सुविधा :-

- (अ) नये दण्डित कैदियों को
1. जेल अधीक्षक द्वारा अपील करने या जमानत हेतु अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मुलाकात या पत्र व्यवहार की युक्तियुक्त सुविधा
 2. मृत्युदण्ड के कैदी को कानूनी सलाहकारों मित्रों एवं रिश्तेदारों से भेंट एवं सूचनायें हेतु युक्तियुक्त सुविधा (नियम 675)

(ब) प्रत्येक दण्डित कैदियों को जेल अधीक्षक द्वारा :-

1. अच्छे आचरण पर अनुमति
2. माह में एक मुलाकात या पत्र
3. एक तिरिक्त पत्र सुविधा जो कि विनिमय शील नहीं होगी ।
4. दोष सिद्ध होने के पश्चात् किसी भी समय प्रथम भेंट तथा पत्र की सुविधा
5. जेल के अन्यत्र जेल अन्तरण पर अन्तरण के पूर्व भेंट तथा पत्र सुविधा (676)

(स) विशेष रियायतें

1. एक समय में तीन से अधिक व्यक्ति के मुलाकात हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी ।
2. विशेष मामलों में जेल अधीक्षक कम अन्तराल में भी मुलाकात या पत्र की सुविधा प्रदान कर सकता है ।
3. कैदी के खराब आचरण या अवचार के बाबजूद विशेष या अर्जेन्ट मामलों में जैसे बीमार, मृत्यु आदि के मुलाकात एवं पत्र सुविधा में जेल अधीक्षक द्वारा रियायत दी जावेगी ।

जेल रहवासियों की शिकायत :-

(अ) शिकायत

1. जेलर एवं अष्टकोण अधिकारी को दिन में कभी भी निम्न मामलों में :-
अ- बुरे व्यवहार
ब- अपील
स- शिकायतें एवं अभ्यावेदन (635)
2. अधीक्षक को (सभी मामलों की शिकायत)
अ- जिला जेलों में प्रतिदिन
ब- केन्द्रीय जेलों में दो दिन में एकबार (635)

(ब) आपराधिक शिकायत :-

1. समस्त जेल अधीक्षकों के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को (636)

नोट :- जेल के रहबासियों को प्रतिदिन किसी भी समय जेलर एवं अष्टकोण अधिकारी को तथा उनके माध्यम से जेल अधीक्षक को शिकायत करने का पूर्ण अधिकार है ।

कैदी द्वारा प्लीडर की नियुक्ति तथा लेखन सामग्री की उपलब्धता

(अ)

(ब)

1.	अपील करने के इच्छुक केदियों को निशुल्क लेखन सामग्री (759)	दायित्व (1) जेल अधीक्षक
2.	न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि 30 दिनों में निशुल्क	दायित्व (2) न्यायालय, जेल अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे ।
3.	निर्णय पढ़कर सुनाया जावेगा	दायित्व (3) जेल अधीक्षक पर
4.	प्लीडर की नियुक्ति तथा विधिक सहायता निशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी तथा समय सीमा में अपील की जावेगी (परिपत्र क्रं./155/321/याचिका दि. 22.10.90)	दायित्व (4) जेल अधीक्षक पर
5.	केदियों के एडव्होकेट या मित्र का अपील के ज्ञापन के संबंध में संपर्क करने की अनुज्ञा (762)	दायित्व (5) जेल अधीक्षक पर

बिन्दु क्रं. 5 कार्यालय में उपयोग होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम, नियम रेगुलेशन, मेन्युल की सूची ।

1- जेल मेन्युअल

//7//

बिन्दु क्रमांक 6 कार्यालय में सधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा उसका वर्गीकरण ।

क्रं.	अभिलेखों की सूची	वर्गीकरण
1.	जेल गेट रजिस्टर	जेल के अन्दर आने जाने वालों का इन्द्राज
2.	जेल गेट माल रजिस्टर	जेल के अन्दर माल आने जाने का इन्द्राज
3.	रात्री लॉकअप रजिस्टर	रात्री में बंद किये गये बन्दियों का इन्द्राज
4.	दोपहर लॉकअप रिजस्टर	दोपहर में बंद किये गये बन्दियों का इन्द्राज
5.	बंदी आमद रजिस्टर	जेल में प्रवेश होने वाले दण्डित बन्दियों का इन्द्राज
6.	बंदी रिहाई रजिस्टर	दण्डित बंदी जेल से रिहा होने का इन्द्राज
7.	माफी रजिस्टर	दण्डित बंदी को शासन द्वारा प्राप्त माफी का इन्द्राज
8.	विचाराधीन आमद रजि0	विचाराधीन बंदियों की जेल प्रविष्टि का इन्द्राज
9.	विचाराधीन रिहाई रजि0	विचाराधीन बंदी जेल से रिहा होने का इन्द्राज
10	पेशी रजिस्टर	बंदियों को पेशी पर भेजने का इन्द्राज किया जाना
11	बंदी प्रापटी रजिस्टर	बंदियों के निजी पैसे / सामान का इन्द्राज
12	डाईट रजिस्टर	बंदियों को भोजन सामग्री प्रदाय करने का इन्द्राज
13	सब्जी / दूध रजि0	बंदियों को सब्जी/दूध प्रदाय करने का इन्द्राज
14	स्टॉक रजिस्टर	खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का इन्द्राज
15	डेड स्टॉक रजि0	पुराने सामान का इन्द्राज
16	टेलीफोन रजि0	टेलीफोन का रख रखाब एवं देयक संबंधी इन्द्राज
17	बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर	भुगतान की रकम आने एवं जाने का इन्द्राज
18	केश बुक मेन्टीनेन्स	कार्यालय हेतु उपयोग होने वाली रकम का इन्द्राज
19	केशबुल (प्रिजन्स)	बंदियों के निजि रकम का इन्द्राज
20	केशबुक (पारिश्रमिक)	बंदियों को भुगतान की जाने वाली पारिश्रमिक राशि

क्रं.	अभिलेखों की सूची	वर्गीकरण
21	चालान रजिस्टर	कोषालय में राशि जमा करने का इन्द्राज
22	प्रोसीडिंग रजिस्टर	क्रय समिति के आदेश जारी करने का इन्द्राज
23	न्यूज पेपर रजिस्टर	बंदियों हेतु समाचार पत्र आने का इन्द्राज
24	भोजन समिति रजि0	बंदियों को भोजन प्रदाय करने हेतु समिति का गठन
25	स्वच्छता सामग्री रजि0	बंदियों को साबुन, तेल इत्यादि प्रदाय करने का इन्द्राज
26	जेलर रिपोर्ट बुक	जेल की गतिविधियों का इन्द्राज
27	अधीक्षक आदेश पुस्तिका	अधीक्षक द्वारा आदेश प्रदान करने का इन्द्राज
28	एकाउटेन्स रोल	भुगतान करने की राशि का इन्द्राज
29	एडवांस रजिस्टर	कर्मचारियों को सभी प्रकार के दिये गये एडवांस का इन्द्राज
30	जी.पी.एफ/डी.पी.एफ. रजि0	कर्मचारियों के भविष्य निधि का लेखा जोखा
31	स्टेशनरी रजिस्टर	कार्यालय हेतु आने वाली स्टेशनरी का इन्द्राज

बिन्दु क्रं. 7 – इस कार्यालय में परामर्श दात्री समिति गठित नहीं है ।

बिन्दु क्रं. 8 इस कार्यालय में क्रय समिति का गठन किया गया है ।

जिसमें निम्नलिखित सदस्य मनोनीत है ।

- 1– जेल अधीक्षक
- 2– जेलर
- 3– आशासकीय संदर्शक

बिन्दु क्रमांक 8 कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची –

क्रं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पद नाम	वेतन	अन्य प्राप्त होने वाली सुविधाएँ
1.	डा.रमेश शर्मा	जेलर	5500-9000	निशुल्क शासकीय आवास गृह
2.	श्री बीरेन्द्र कुमार सोनी	मु0 प्रहरी	3500-5200	निशुल्क शासकीय आवास गृह
3.	श्री सरमनलाल	मु0 प्रहरी	3500-5200	निशुल्क शासकीय आवास गृह
4.	श्री रिक्त पद अतिरिक्त अस्थाई	मु0 प्रहरी	3500-5200	निशुल्क शासकीय आवास गृह
5.	श्री पोषणसिंह	प्रहरी	3500-5200	निशुल्क शासकीय आवास गृह
6.	श्री सुरेश कुमार रजक	प्रहरी	3500-5200	निशुल्क शासकीय आवास गृह
7.	श्री शंकरलाल शर्मा	प्रहरी	3500-5200	निशुल्क शासकीय आवास गृह
8.	श्री रमेश बाबू कटियार	प्रहरी	3050-4590	निशुल्क शासकीय आवास गृह
9.	श्री अजयकुमार कटियार	प्रहरी	3050-4590	निशुल्क शासकीय आवास गृह
10.	श्री राजनारायण दीक्षित	प्रहरी	3050-4590	निशुल्क शासकीय आवास गृह
11.	श्री अनिलकुमार पाठक	प्रहरी	3050-4590	निशुल्क शासकीय आवास गृह
12.	श्रीमति मेवावाई	प्रहरी	3050-4590	निशुल्क शासकीय आवास गृह
13.	श्री सुलेमान अख्तर	अ.अस्थाई प्रहरी	3050+D.A.	निशुल्क शासकीय आवास गृह
14.	श्री कन्हैयालाल तिवारी	अ.अस्थाई प्रहरी	3050+D.A.	निशुल्क शासकीय आवास गृह
15.	श्री भारत सिंह	अ.अस्थाई प्रहरी	3050+D.A.	निशुल्क शासकीय आवास गृह
16.	श्री रूपेन्द्र सिंह	अ.अस्थाई प्रहरी	3050+D.A.	निशुल्क शासकीय आवास गृह
17.	श्री प्रवीण सिंह	अ.अस्थाई प्रहरी	3050+D.A.	निशुल्क शासकीय आवास गृह
18.	श्री अजीज अहमद	अ.अस्थाई प्रहरी	3050+D.A.	निशुल्क शासकीय आवास गृह

// 10 //

क्रं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पद नाम	वेतन	अन्य प्राप्त होने वाली सुविधाएँ
19.	श्री सुलतान खां	अ.अस्थायी प्रहरी	3050+D.A.	निशुल्क शासकीय आवास गृह
20.	श्री प्रमोद कुमार	अ.अस्थायी प्रहरी	3050+D.A.	निशुल्क शासकीय आवास गृह
21.	श्री रिक्त पद	अ.अस्थायी प्रहरी	3050+D.A.	निशुल्क शासकीय आवास गृह
22.	श्रीमति कनीजा वेगम	अ.अस्थायी महिला प्रहरी	3050+D.A.	निशुल्क शासकीय आवास गृह
23.	रिक्त पद	अ.अस्थायी महिला प्रहरी	3050+D.A.	निशुल्क शासकीय आवास गृह
24.	श्री गुलाबचंद	स्यीपर	2750-4400	निशुल्क शासकीय आवास गृह
अंशकालीन स्टॉफ				
1.	डॉ. एन.एस. खैरा	जेल चिकित्सक	75.00	निरंक
2.	श्री रमेश चन्द सेन	कम्पाउन्डर	50.00	निरंक

बिन्दु क्रमांक 11 कार्यालय हेतु मदवार बजट आवंटन तथा उसके उपयोग की जानकारी

मद	आवंटन 2007-08	व्यय दिनांक 31.8.2007
मद् 11 वेतन भत्ते		
001 वेतन	9,60,000=00	4,81,716=00
002 पे ऑफ बर्क चार्ज	36,000=00	7,806=00
003 मंहगाई भत्ते	2,99,000=00	2,52,466=00
004 मंहगाई वेतन	4,98,000=00	2,00,739=00
006 मकान किराया भत्ता	5,000=00	2,336=00
008 अन्य भत्ते	9,000=00	9,261=00
009 चिकित्सा प्रतिपूर्ती	2,000=00	—
योग —	18,09,000=00	9,54,324=00

// 11 //

1	2	3
यात्रा व्यय	10,000=00	6451=00
योग –	10,000=00	6451=00
मद् 22 कार्यालय व्यय		
001 डांक टिकिट	3000=00	2300=00
002 टेलीफोन प्रभार	10,000.00	9992=00
004 पुस्तक तथा पत्रिकाएँ	7,000=00	973=00
005 जल एवं विद्युत प्रभार	1,00,000=00	92023=00
006 बर्दीयां	1000=00	–
007 लेखन सामग्री	20,000=00	20,000=00
009 पेट्रोल,तेल आदि	10,000=00	5398=00
योग –	151,000=00	130,686=00
मद 31		
004 बंदी पारिश्रमिक	20,000=00	20,000=00
006 सफाई व्यवस्था	1,50,000=00	107,703=00
योग –	1,70,000=00	127703=00
मद 33		
003 मशीन एवं उपकरण का अनु.	5000=00	–
योग –	5000=00	–
मद 34		
002 दवाईयां	90,000=00	87,895=00
004 भोजन व्यवस्था	20,76,000=00	13,34,845=00
योग –	21,66,000=00	14,22,740=00
51 अन्य प्रभार	1,000=00	1000=00
योग –	1000=00	1000=00

बिन्दु क्रं. 12 जानकारी निरंक है

बिन्दु क्रं. 13 जानकारी निरंक है

बिन्दु क्रं. 14 कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची ।

1. सूचना के अधिकार संबंधी मासिक जानकारी
2. सिटीजन चार्टर संबंधी मासिक जानकारी
3. आय-व्यय पत्रक संबंधी मासिक जानकारी
4. अनु.जाति/जनजाति से किये क्रय संबंधी जानकारी
5. स्थापना संबंधी मासिक जानकारी
6. एक वर्ष ऊपर वाले विचाराधीन बन्दियों की सूची
7. चार माह से ऊपर वाले विचाराधीन बन्दियों की सूची
8. सांख्यिकी जानकारी
9. मुख्य बीमारी से पीडित बंदियों की सूची
10. पाकिस्तानी बंदियों की जानकारी
11. सुरक्षा बन्दियों की जानकारी
12. मानव अधिकार आयोग भोपाल को भेजे जाने वाली जानकारी (छ:माही)
13. राष्ट्रीय अपराध व्यूरो नई दिल्ली को भेजे जाने वाली वार्षिक जानकारी
14. मेमो ऑफ पापुलेशन
15. जेल में परिरुद्ध बन्दियों की विधिक सहायता व पेरोल का लाभ दिये जाने संबंधी जानकारी
16. विचाराधीन बन्दियों को कोर्ट पेशी एवं बीमार बन्दियों को अस्पताल तथा गम्भीर रूप से बीमार बन्दियों को प्रहरियों द्वारा सिविल अस्पताल भेजने/ अंशकालीन चिकित्सक / कम्पाउन्डर संबंधी जानकारी ।

- बिन्दु क्रमांक 15 आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधायें ।
1- नोटिस बोर्ड
- बिन्दु क्रमांक 16 लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी –
1- सहायक लोक सूचना अधिकारी – डा. रमेश शर्मा
जेलर
2- अपीलीय अधिकारी का नाम – महानिदेशक एवं
जेल महानिरीक्षक (म.प्र.) भोपाल
- बिन्दु क्रमांक 17. निरंक

अधीक्षक
उप जेल गुना

